परिशिष्ट

सदन में उत्तर देने की दिनांक-23.12.2021

विषय:- सौभाग्य योजना में हुई गडबड़ी की जांच ।

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 1088) माननीया विधायक सुश्री हिना लिखीराम कांवरे

जिला	जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये कार्मिकों के विरूद्ध जारी किये गये आरोप पत्र (संख्या)	जांच रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की जानकारी
मंडला	18 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत मंडला जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 18 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। कुल 18 कार्मिकों की विभागीय जांचों में से 17 विभागीय जांचों में विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण होकर विभागीय जांचकर्ता अधिकारी का जांच प्रतिवेदन/निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है। कुल 17 में से 08 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश पारित किया जा चुका है। शेष 09 में से 05 प्रकरणों में अंतिम दण्डादेश/दीर्घशस्ति अधिरोपित करने एवं ग्रेच्युटि जप्त करने के संबंध में नोटिस संबंधित अपचारी कार्मिकों को जारी किये जा चुके है। 03 प्रकरणों विभागीय जांच निष्कर्ष की प्रति संबंधित कार्मिकों को प्रदाय कर अभ्यावेदन चाहा गया है। 01 प्रकरण में विभागीय जांच निष्कर्ष का विश्लेषण किया जा रहा है । उपरोक्त में से 14 अपचारी कार्मिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है, जिसमें से 09 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है। 01 प्रकरण में अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में रिट याचिका दायर की गयी थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2021 के विरूद्ध रिट अपील दायर की गयी थी। रिट अपील पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 में पूर्व में जारी आदेश पत्रों को निरस्त न करते हुये म.प्र. सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधान के अनुसार अनशासनिक प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत आरोप पत्र जारी करने की स्वंतत्रता कंपनी को दी गयी है।

प्रश्न सं. [क्र. 1088]

[23/12/2021]

डिंडौरी	09 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत डिंडौरी जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 09 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। विभागीय जांच में मूल आरोप पत्र में 08 कार्मिकों के विरूद्ध जारी आरोप पत्रों की जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । नवीन कनेक्शनों हेतु जारी पूरक आरोप पत्र की विभागीय जांच कार्यवाही प्रकियाधीन है। विभागीय जांच में गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया जा रहा है, विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 03 अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें से 01 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।
सीधी	22 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत सीधी जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 22 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। विभागीय जांचों में गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 20 अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें से 13 प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।
सिंगरौली	04 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत सिंगरौली जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 04 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। विभागीय जांचों में गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 02 अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें से 01 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।
सागर (देवरी)	04 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत सागर जिले (देवरी तहसील) की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 04 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। 03 कार्मिकों की विभागीय जांच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। 01 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।

सतना	22 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत सतना जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 22 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। विभागीय जांचों में गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया जा रहा है। विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 14 अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें से 08 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।
रीवा	24 कार्मिक	सौभाग्य योजनांतर्गत रीवा जिले की जांच में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये 24 कार्मिकों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर विभागीय जांच संस्थित की गयी। विभागीय जांच कार्यवाही के विरूद्ध 18 अपचारी अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी है जिसमें से 11 प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही में आगामी सुनवाई तक स्थगन प्रदान किया गया है।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल